भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

राज्यसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 738
24.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

भारी उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाया जाना

738. **श्री देरेक ओब्राईन**:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग उपकरण और पूंजीगत उपकरण विनिर्माताओं सहित भारी उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों और नवोन्मेषी समाधानों को अपनाये जाने के स्तर का आकलन किया है,
(ख) क्या अधिक लागत, प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच और प्रोत्साहन की कमी के कारण उद्योग ऊर्जा-कुशल और कम-कार्बन वाले समाधानों को शीघ्रता से नहीं अपना पा रहे हैं, यदि हाँ, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं; और
(ग) क्या सरकार भारी उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता, नवाचार और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाओं या सार्वजनिक-निजी भागीदारी को शुरू करने या उनका विस्तार करने का विचार रखती है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) : भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इस प्रकार का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, भारी उद्योग क्षेत्र, जिसमें ऑटोमोबिल, इंजीनियरी उत्पाद तथा पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण क्षेत्र शामिल हैं, में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों एवं नवोन्मेषी-साधनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारी उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों का क्रियान्वयन कर रहा है :

(i) **भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई-ऑटो) :** सरकार ने 23 सितंबर 2021 को भारत में ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग के लिए 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ईवी सहित उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पादों के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इस स्कीम को अधिसूचित किया ।

(ii) **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम :** सरकार ने 09.06.2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के निर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को अधिसूचित किया। इस स्कीम का उद्देश्य एसीसी बैटरी के 50 गीगा वाट घंटा के लिए प्रतिस्पर्धी घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।

(iii) **पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) स्कीम:** ₹10,900 करोड़ के परिव्यय वाली इस स्कीम की अधिसूचना 29.09.2024 को जारी की गई। इस स्कीम के अंतर्गत ई-दुपहिया, ई-तिपहिया, ई-ट्रक, ई-बस तथा ई-एम्बुलेंस सहित लगभग 28.30 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इस स्कीम के अंतर्गत ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों (ईवीपीसीएस) की स्थापना तथा परीक्षण एजेंसियों का स्तरोन्नयन भी शामिल है। स्कीम के अंतर्गत 14,028 ई-बसों की तैनाती के लिए ₹4,391 करोड़ का आवंटन किया गया है। साथ ही, अखिल भारतीय स्तर पर ईवी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए ₹2,000 करोड़ आवंटित किये गए है।

(iv) **पीएम ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) स्कीम :** यह स्कीम 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के उद्देश्य से ₹3,435.33 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 28.10.2024 को अधिसूचित की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्राधिकरणों (पीटीए) द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में ई-बस परिचालकों को भुगतान सुरक्षा प्रदान करना है।

(v) **'सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट विनिर्माण संवर्धन स्कीम'**, देश में 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) एकीकृत रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) विनिर्माण क्षमता स्थापित करने के उद्देश्य से कुल ₹7,280 करोड़ के वित्तीय परिव्यय वाली इस स्कीम को 15.12.2025 को अधिसूचित किया गया।

(vi) **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन स्कीम - चरण-II** को 25.01.2022 को अधिसूचित किया गया जिसका कुल परिव्यय 1207 करोड़ रुपए है। इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करना तथा डिजिटल विनिर्माण और उद्योग 4.0 सहित पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना है।

*****